छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6.01.2006

क्रमांक: 75 /उवि/13/वि.अधि./ग्रा.क्षेत्र/05:: विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र0 36 वर्ष 2003) की धारा-14 के उपबंध 8 व सहपठित धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के 11 जिलों यथा बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, सरगुजा के अंतर्गत निम्न तालिका मे दर्शाये गये विकास खण्डों के अंतर्गत गठित पंचायतों के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को उक्त केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-14 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित करती है।

2. राज्य के ग्यारह जिलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हांकन हेतु चयनित विकास खण्डों को दर्शाने वाली तालिका :-

क्र0	जिले का नाम	जिले के अंतर्गत चयनित विकास खण्डो के नाम	विद्युत सेवा हेतु छराविमं के प्रशासकीय संभाग का नाम
1.	बस्तर-जगदलपुर	दरभा, ओरछा, माकड़ी, बड़ेराजपुर	संचा. संधारण संभाग जगदलपुर
2.	कांकेर	दुर्गकोंदल, कोयलीबेड़ा,	संचा. संधारण संभाग कांकेर
3.	दंतेवाड़ा	भैरमगढ़, उसुर, भोपालपट्टनम, कटेकल्याण, छिंदगढ़	संचा. संधारण संभाग दंतेवाड़ा
4.	राजनांदगांव	मोहला, मानपुर	संचा. संधारण संभाग डोंगरगढ़
5.	कवर्धा	बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया	संचा. संधारण संभाग कवर्धा
6.	रायपुर	गरियाबंद, मैनपुर, छूरा, बिलाईगढ़, देवभोग,	संचा. संधारण संभाग नवापारा राजिम
7.	जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	संचा. संधारण संभाग चाम्पा
8.	कोरबा	करतला	संचा. संधारण संभाग कोरबा
9.	जशपुर	मनोरा	संचा. संधारण संभाग पत्थलगांव
10.	कोरिया	सोनहत व भरतपुर	संचा. संधारण संभाग मनेन्द्रगढ़
11.	सरगुजा	शंकरगढ़, कुसमी, ओडगी	संचा. संधारण संभाग अंबिकापुर

3. उपरोक्त तालिका में सम्मिलित जिलों/विकास खण्डों की सूची में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर

पृ.क्र.: 76 /उवि/13/वि.अधि./ग्रा.क्षेत्र/05
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 06.01.2006

1. निज सहायक, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. निज सहायक, मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
4. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर।
-- को सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, रायपुर ।
6. मुख्य परियोजना प्रबंधक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जे.डी.ए. बिल्डिंग, मदन महल, जबलपुर- 482001 (म0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
-क्र0 5 व 6 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, जन सम्पर्क, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार-प्रसार हेतु।
9. सचिव, छ0रा0 विद्युत मण्डल, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु। प्रकाशित राजपत्र की 300 प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने का निवेदन है।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ऊर्जा विभाग, रायपुर